बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग
संकल्प

संख्या-भवन/स्था०-04/मुक०-04/2016 10466 (भ) पटना, दिनांकः- 24.11.17

श्री जगन्नाथ राम, पाटलीपुत्र भवन प्रमंडल, पटना के अंतर्गत अवर प्रमंडल, गोलघर, पटना के कार्यालय में दैनिक वेतनभोगी स्वीपर के रूप में दिनांक-01.03.1990 से दिनांक-16.08.2012 तक कार्यरत थे। लक्ष्मी नारायण दूबे एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में नियमित पद पर नियुक्ति हेतु सी.डब्लू.जे.सी. संख्या-5316/2012 दायर किया गया, जिसमें श्रीराम वादी संख्या-4 थें। इसबीच दिनांक-17.08.2012 को उनकी मृत्यु हो गयी।

2. समादेश संख्या-5316/2012 में दिनांक-12.04.2012 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के क्रम में याचिकाकर्त्ताओं द्वारा अवमाननावाद संख्या-4540/2012 दायर किया गया। अवमाननावाद के निष्पादन के क्रम में विभागीय पत्रांक-5180(भ.) दिनांक-04.07.2012 द्वारा समादेश वाद संख्या-5316/2012 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का अनुपालन करने का निदेश दिया गया। विदित हो कि उक्त समादेशवाद में कुल 9 वादी थें जिसमें से 8 वादी का समायोजन/नियुक्ति अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-5720 दिनांक-24.09.2012 द्वारा किया गया। वादी संख्या-4 जगन्नाथ राम, दैनिक वेतनभोगी कर्मी, पाटलीपुत्र भवन प्रमंडल, पटना की मृत्यु दिनांक-17.08.2012 को हो गयी, जिसके कारण उनका समायोजन/नियुक्ति नहीं किया जा सका।

3. स्व. जगन्नाथ राम, दैनिक वेतनभोगी के आश्रित पुत्र श्री रंजीत कुमार द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या-6593/2014 दायर किया गया। समादेशवाद की सुनवाई के क्रम में तत्कालीन प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा दिनांक-11.05.16 को एक पूरक प्रतिशपथ पत्र (जिसका ओथ संख्या-23095, दिनांक-11.05.16 है) दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त पूरक प्रतिशपथ पत्र के आलोक में समादेशवाद में दिनांक-11.05.16 को निम्न आदेश पारित किया गया-

"In view of the same, this writ application is disposed of with a direction upon the District Magistrate, Patna that of the district shall implement the directive of the Building Construction Department without delay."

4. इसी बीच याचिकाकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अवमाननावाद संख्या-................. /2017 दायर कर दिया गया। फलतः सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या-6593/2014 में दिनांक 11.05.16 को पारित न्यायादेश का अनुपालन किया जाना बाध्यकारी हो गया। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री रंजीत कुमार याचिकाकर्त्ता को नियमानुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु उनके पिता स्व. जगन्नाथ राम, दैनिक वेतनभोगी कर्मी को नियमित स्थापना में भूतलक्षी प्रभाव यानि उनकी मृत्यु की तिथि 17.08.12 से समायोजन/नियुक्ति किया जाना है क्योंकि दैनिक वेतनभोगी कर्मी के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं है, तथा भूतलक्षी प्रभाव से अथवा मृत्यु के उपरान्त किसी भी दैनिक वेतन भोगी को समायोजन/नियुक्ति करने संबंधी अनुदेश/आदेश/संकल्प/परिपत्र का प्रावधान नहीं रहने के कारण, परामर्श के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को संचिका पृष्ठांकित की गई। परामर्श प्राप्त हुआ कि इस संबंध में वित्त/विधि विभाग से सहमति प्राप्त कर मंत्रिपरिषद् से अनुमोदन प्राप्त किया जाय। तद्नुसार इसमें

5. उक्त तथ्यों तथा दिनांक-07.11.2017 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-15 के रूप में लिए गए निर्णय के आलोक में श्री रंजीत कुमार को नियमानुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त करने हेतु उनके पिता स्व0 जगन्नाथ राम, दैनिक वेतनभोगी को कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, पटना में स्वीपर (चतुर्थ वर्गीय पद, वेतन बैंड-1एस.+ग्रेड वेतन-1300/-) के रिक्त पद पर नियमित स्थापना में भूतलक्षी प्रभाव यानि उनकी मृत्यु की तिथि 17.08.2012 से समायोजित/नियुक्त किया जाता है। स्व0 जगन्नाथराम के आश्रित पुत्र श्री रंजीत कुमार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के हकदार होंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधित को प्रेषित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6/11/17

(चंचल कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-भवन/स्था0-04/मुक0-04/2016 10466 (अ)/ पटना, दिनांक:- 24.11.17

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (दो हॉर्ड कॉपी एवं सी.डी. सहित) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

22.11.17

(जनक राम)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-भवन/स्था0-04/मुक0-04/2016 10466 (अ)/ पटना, दिनांक:- 24.11.17

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल, सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, (दक्षिण)/अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पाटलीपुत्र भवन प्रमंडल, पटना/भवन प्रमंडल, पटना एवं श्री रंजीत कुमार, पुत्र-स्व0 जगन्नाथ राम, भूतपूर्व दैनिक वेतनभोगी स्वीपर, पाटलीपुत्र भवन प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.11.17

(जनक राम)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-भवन/03-स्था0ए0-22/2013 10466 (अ)/ पटना, दिनांक:- 24.11.17

प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, कम्पूटर कोषांग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22.11.17

(जनक राम)

सरकार के उप सचिव।